

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)  
क्रमांक:- राजस्व/2023/ 15

दिनांक 24/01/2023

उनवान:- रेखा बाई उर्फ कान्तिबाई वगै० बनाम राज० सरकार जयें तहसीलदार  
रायपुर

धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 24/01/2023

प्रार्थीगण रेखाबाई उर्फ कान्तिबाई वगै० पिता शिवलाल जाति दांगी नि० हनोतिया धरोनिया तहसील रायपुर जिला झालावाड़ के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हनोतिया धरोनिया पटवार मण्डल धारूखेडी तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 मे खाता संख्या 125 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीगण का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम हनोतिया धरोनिया पटवार मण्डल धारूखेडी तहसील रायपुर	125	1-रेखाबाई पुत्री शिवलाल 2-संतराबाई पुत्री शिवलाल	1-रेखाबाई उर्फ कान्तिबाई पुत्री शिवलाल 2-संतराबाई उर्फ संतोषबाई पुत्री शिवलाल

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

जिला झालावाड़ (राज०)

दिनांक 24/01/2023

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

जिला झालावाड़

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

